संख्या-36/2017/2108/22-2-2016-17(376)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जरीफ उर्फ भूरा पुत्र श्री जावेद, निवासी ग्राम-अहमदपुर रौनी थाना व जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3/(एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जरीफ उर्फ भूरा पुत्र श्री जावेद, निवासी-अहमदपुर रौनी, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। घटना से लगभग 20 दिन पूर्व हुयी मारपीट के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.06.1999 को समय लगभग 06:30 बजे बन्दूक एवं कट्टे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/99 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 323, 302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश-कन्नौज द्वारा दिनांक 18-04-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 16 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा बन्दी के शारीरिक/मानसिक रूप से अपराध करने में सक्षम होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं कट्टे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियो की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जरीफ उर्फ भूरा पुत्र श्री जावेद, को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जरीफ उर्फ भूरा (बन्दी संख्या-15829) पुत्र श्री जावेद निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2017/2108(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-36/2017/2108/22-2-2016-17(376)/2016

दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जरीफ उर्फ भूरा पुत्र श्री जावेद, निवासी-अहमदपुर रौनी, थाना व जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। घटना से लगभग 20 दिन पूर्व हुयी मारपीट के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.06.1999 को समय लगभग 06:30 बजे बन्दूक एवं कट्टे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-286/99 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 323, 302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश-कन्नौज द्वारा दिनांक 18-04-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 16 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा बन्दी के शारीरिक/मानसिक रूप से अपराध करने में सक्षम होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं कट्टे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियो की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जरीफ उर्फ भूरा पुत्र श्री जावेद, को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in